न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल.आर.गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 46/2018 अपील

श्रीमती सोहनी देवी पत्नी भुवानीलाल मीणा निवासी तालाब का झूपड़ा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा –अपीलार्थी	बनाम	राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जहाजपुर –रेस्पोडेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
विरूद्ध आदेश तहसीलदार जहाजपुर बमामले
प्रकरण सं0 541/2017 निर्णय दिनांक 25.10.2017

उपस्थित –

श्री मनीष कुमार अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट की ओर से

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक 06.06.2018

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्ध आदेश तहसीलदार जहाजपुर बमामले प्रकरण सं0 541/2017 निर्णय दिनांक 25.10.2017 के खिलाफ दिनांक 06.03.2018 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवार हल्का इटून्दा तहसील जहाजपुर द्वारा प्रार्थी श्रीमती सोहनी देवी पत्नी भुवानीलाल मीणा निवासी तालाब का झूपडा तहसील जहाजपुर के विरूद्व रिपोर्ट पेश की थी जिसमें बताया गया कि उक्त अतिचारी द्वारा ग्राम तालाब का झूपडा के आराजी नम्बर 2314/95 रकबा 1.00 बीघा भूमि पर अवैध तरीके से फसल पडत कर अतिक्रमण कर लिया है। उक्त प्रार्थी के विरूद्व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 नियम 3 के तहत कार्यवाही कर दिनांक 25.10.2017 को निर्णय पारित कर दिया जो तथ्यों एवं विधि विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य हैं। दिनांक 25.10.2017 को अपीलार्थी तामील हेतु नियत थी और उसी दिन अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वतंत्र व्यक्तियों के बयान लेखबद्ध नही किये गये, मात्र पटवारी रिपोर्ट के आधार

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

पर ही उक्त निर्णय पारित कर दिया। अपीलार्थी विवादित भूमि पर वर्षों से काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। जिसे वह आवंटित कराने का अधिकारिणी है परन्तु विधि अनुसार आवंटन नहीं होने पर वह उक्त भूमि राजकीय कार्य में आवश्यकता होने पर विवादित भूमि से कब्जा छोडने के लिए तत्पर व तैयार हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नही किया व सुनवाई का भी समुचित अवसर प्रदान नही किया गया। अपीलार्थी गरीब व्यक्ति होकर कृषक व्यक्ति हैं और कृषि ही अपीलार्थी और उसके परिवारजन का जिविकोपार्जन का साधन हैं। उक्त निर्णय की जानकारी दिनांक 12.02.2018 को अपीलार्थी को गिरफ्तार करने पर उक्त निर्णय की जानकारी हुयी। अतः निवेदन हैं कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार फरमा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.10.2017 को अपास्त फरमाया जावे व अपीलार्थी का विवादित भूमि पर वर्षों से कब्जा है व निरन्तर कब्जे के आधार पर उक्त भूमि अपीलार्थी के नाम पर आवंटित की जावे परन्तु विधि अनुसार उक्त भूमि अपीलार्थी के नाम पर आवंटित नही होने की दशा में पत्रावली पुनः अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित की जावे। जिससे अपीलार्थी कब्जा छोडने बाबत् शपथ पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर सके व अपना कब्जा हटा सके।

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 12.03.2018 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकार्ड़ तलब किया गया।

अपीलार्थी अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि पटवार हल्का इटून्दा तहसील जहाजपुर द्वारा प्रार्थी श्रीमती सोहनी देवी पत्नी भुवानीलाल मीणा निवासी तालाब का झूपडा तहसील जहाजपुर के विरूद्व रिपोर्ट पेश की थी जिसमें बताया गया कि उक्त अतिचारी द्वारा ग्राम तालाब का झूपडा के आराजी नम्बर 2314/95 रकबा 1.00 बीघा भूमि पर अवैध तरीके से फसल पडत कर अतिक्रमण कर लिया है। उक्त प्रार्थी के विरूद्व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 नियम 3 के तहत कार्यवाही कर दिनांक 25.10.2017 को निर्णय पारित कर दिया जो तथ्यों एवं विधि विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य हैं। दिनांक 25.10.2017 को अपीलार्थी तामील हेतु नियत थी और उसी दिन अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वतंत्र

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

व्यक्तियों के बयान लेखबद्ध नही किये गये, मात्र पटवारी रिपोर्ट के आधार पर ही उक्त निर्णय पारित कर दिया। अपीलार्थी विवादित भूमि पर वर्षों से काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। जिसे वह आवंटित कराने का अधिकारिणी है परन्तु विधि अनुसार आवंटन नहीं होने पर वह उक्त भूमि राजकीय कार्य में आवश्यकता होने पर विवादित भूमि से कब्जा छोडने के लिए तत्पर व तैयार हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नही किया व सुनवाई का भी समुचित अवसर प्रदान नही किया गया। अपीलार्थी गरीब व्यक्ति होकर कृषक व्यक्ति हैं और कृषि ही अपीलार्थी और उसके परिवारजन का जिविकोपार्जन का साधन हैं। निवेदन हैं कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार फरमा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.10.2017 को अपास्त फरमाया जावे व अपीलार्थी का विवादित भूमि पर वर्षों से कब्जा है व निरन्तर कब्जे के आधार पर उक्त भूमि अपीलार्थी के नाम पर आवंटित की जावे परन्तु विधि अनुसार उक्त भूमि अपीलार्थी के नाम पर आवंटित नही होने की दशा में पत्रावली पुनः अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित की जावे।

रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि श्रीमती सोहनी देवी पत्नी भुवानीलाल मीणा निवासी तालाब का झूपडा के द्वारा ग्राम तालाब का झूपडा के आराजी नं. 2314/95 रकबा 1.00 बीघा भूमि किस्म मगरी बिलानाम आराजी पर अतिकमण करने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत तहसीलदार जहाजपुर द्वारा प्रकरण सं. 541/2017 दर्ज कर धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया। श्रीमती सोहनी देवी पत्नी भुवानीलाल मीणा द्वारा आराजी नं. 541/2017 पर संवत् 2073 में प्रकरण सं. 107/16 में अपीलार्थी को बेदखल किये जाने से पश्चातवर्ती अतिचार करने के कारण 15 दिवस के सिविल कारावास एवं शास्ति 25/–रू. से दिनांक 25.10.2017 को दण्डित किया गया है जो नियमानुसार है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाकर न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर का निर्णय यथावत रखे जाने का आदेश प्रदान करावें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाडा (राज.)

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि ग्राम तालाब का झूपडा तहसील जहाजपुर के आराजी नं. 2314/95 रकबा 1.00 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड में किस्म मगरी दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार जहाजपुर के निर्णय अनुसार अतिकमी का उक्त आराजी नं. 2314/95 में रकबा 1.00 बीघा भूमि पर संवत् 2073 में प्रकरण सं. 107/16 में

अपीलार्थी को बेदखल किये जाने से पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने से 15 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया हैं एवं 25/— शास्ति आरोपित की गयी । उक्त आराजी किस्म मगरी बिलानाम भूमि हैं जो आवंटन/नियमन योग्य नहीं हैं। अतिक्रमी की देखा देखी कर अन्य व्यक्ति भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने के प्रयासरत है ।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार आराजी नं0 2314/95 रकबा 1.00 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर लिये जाने से प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया और अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए अतिक्रमण से बेदखल किये जाने के साथ साथ 15 दिवस के सिविल कारावास की सजा भुगताए जाने व उक्त भूमि के वार्षिक लगान का 50 गुणा आर्थिक जुर्माना कुल 25/— रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश भी पारित किया गया था। नियत पेशी दिनांक को अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित भी हुआ और उसके द्वारा विवादग्रस्त आराजी पर अपना अतिक्रमण भी स्वीकार किया है। जिससे स्पष्ट हैं कि अपीलान्ट के द्वारा उक्त मगरी बिलानाम भूमि पर अनाधिकृत रूप से पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने का अपराध किया है।

अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट को दोषी मानते हुए अपीलाधीन आदेश से दण्डित करते हुए शास्ति का आरोपण किया जाकर 15 दिवस के सिविल कारावास की सजा से व अर्थदण्ड से दण्डित किया जाकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का जो आदेश पारित किया गया हैं वह युक्तियुक्त होकर विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय ने इसमे कोई त्रुटि नहीं की है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाने योग्य हैं एवं अपील अपीलार्थी खारिज योग्य है। अतएव—

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 विरूद्ध आदेश तहसीलदार जहाजपुर बमामले प्रकरण सं0 541/2017 निर्णय दिनांक 25.10.2017 के क्रम में खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.10.2017 यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06/06/18

(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)